

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी चेतगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 06.09.2020 को प्र०नि० थाना जैतपुरा के नेतृत्व थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा लाक डाउन के दृष्टिगत रोकथाम अपराध, भ्रमण व चेकिंग के दौरान पुराना पुल के पास से अभियुक्त देवी शरण सोनकर उर्फ बब्ली (उम्र 34 वर्ष) पुत्र स्व० हरिलाल सोनकर निवासी मुन्ना सोखा के बगल में दीनदयालपुर ग्राम खलिसपुर थाना सारनाथ वाराणसी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक सफेद पिपिया में 5 लीटर नाजायज कच्ची देशी शराब बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पर मु०अ०स०-154/20 धारा-60 उ०प्र० आबकारी अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- देवी शरण सोनकर उर्फ बब्ली (उम्र 34 वर्ष) पुत्र स्व० हरिलाल सोनकर निवासी मुन्ना सोखा के बगल में दीनदयालपुर ग्राम खलिसपुर थाना सारनाथ वाराणसी।

\*गिरफ्तारी का दिनांक व समय-\*

- दिनांक 06.09.2020 समय 00.30 बजे रात्रि

\*बरामदगी का विवरण-\*

- एक सफेद पिपिया में 5 लीटर कच्ची देशी शराब नाजायज

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ०नि० मो० अकरम चौकी प्रभारी चौकी-सरैया, उ०नि० दयाशंकर यादव, उ०नि० दीपक कुमार, का० मो० इरशाद व का० ज्योति प्रकाश रंजन थाना जैतपुरा वाराणसी।

(पी०आर०सेल)

जनपद वाराणसी



\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी चेतगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 06.09.2020 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा लाक डाउन के दृष्टिगत रोकथाम अपराध, भ्रमण व चेकिंग के दौरान सैरैया डाट पुल के पास से समय करीब 05.10 बजे बरकत अली (उम्र 23 वर्ष) पुत्र अब्दुल रउफ निवासी ए-12/पी 75-एम-5 लाची बाबा सोनबरसा बजरडीहा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा .303 बोर व एक जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पर मु0अ0सं0-155/20 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- बरकत अली (उम्र 23 वर्ष) पुत्र अब्दुल रउफ निवासी ए-12/पी 75-एम-5 लाची बाबा सोनबरसा बजरडीहा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।

\*बरामदगी का विवरण-\*

- एक अदद नाजायज देशी तमन्चा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोरा

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ0नि0 मो0 अकरम चौकी प्रभारी चौकी-सैरैया, उ0नि0 दयाशंकर यादव, उ0नि0 दीपक कुमार, हे0का0 राकेश राय, का0 अखिलेश यादव व का0 ज्योति प्रकाश रंजन थाना जैतपुरा वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



\*प्रेस नोट\*

\*आज दिनांक 06.09.2020 को थाना रोहनियां पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी सूरज राजभर  
गिरफ्तार\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वाराणसी द्वारा संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी सदर के दिशा निर्देशन में आज दिनांक 06.09.2020 को थाना रोहनियां पुलिस द्वारा ग्राम देऊरा से जिला बदर अपराधी सूरज राजभर पुत्र रजई राजभर निवासी ग्राम देऊरा थाना रोहनियां जनपद वाराणसी को समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06/09/2020 को थाना रोहनियां पुलिस तलाश वांछित अपराधी में मातलदेई चौराहे पर मौजूद थी कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि थाना क्षेत्र का गुण्डा एक्ट में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 06 माह के लिए जिला बदर किया गया अपराधी सूरज राजभर अपने घर पर ही मौजूद है। उक्त सूचना पर विश्वास करके पुलिस बल द्वारा ग्राम देऊरा पहुँचकर घर के बाहर बैठे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति ने पूछताछ करने पर अपना नाम सूरज कुमार राजभर पुत्र रजई राजभर निवासी ग्राम देऊरा थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी बताया और यह भी बताया कि उसे दिनांक 28/08/2020 को जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा गुण्डा एक्ट के तहत 06 माह के लिए जनपद वाराणसी की सीमा से जिला बदर किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन कर मैं अपने घर पर ही रह रहा था कि आप लोगों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

जिला बदर किये जाने की नोटिस सूरज राजभर को दिनांक 03/09/2020 को तामील करायी गयी थी। लेकिन उक्त आदेश का पालन न करके वह अपने घर में ही रह रहा था, जो उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 10 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- सूरज राजभर पुत्र रजई राजभर निवासी ग्राम देऊरा थाना रोहनियां जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्षी

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- प्र०नि० परशुराम त्रिपाठी, उ०नि० सचिन कुमार चौकी प्रभारी मातलदेई, का० विक्रान्त सिंह व का० सुजीत राय  
थाना रोहनियां जनपद वाराणसी।

(पी०आर०सेल)  
जनपद वाराणसी



\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 06-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*कुल 61 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा \*190 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम\* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 771 वाहनों का चालान, 03 वाहनों को सीज तथा 52 वाहनों से रु-36,500/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 06-09-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये \*कुल 1611 व्यक्तियों से रु-76,450/- जुर्माना\* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी